

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2018 — आश्विन 11, शक 1940

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 1 अक्टूबर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-1/2003/9. — खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेल संघ संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु पूर्व में जारी किये गये “विभागीय मान्यता एवं आर्थिक सहायता नियम को अधिक्रमित करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, एतद्द्वारा नियम बनाता है। अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ-

- (1) यह नियम “विभागीय मान्यता एवं आर्थिक सहायता नियम 2018” कहलाएंगे।
- (2) ये नियम इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-

- (1) राज्य से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।
- (2) विभाग से अभिप्रेत है खेल एवं युवा कल्याण विभाग।
- (3) संचालनालय से अभिप्रेत है संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण।
- (4) संचालक से अभिप्रेत है संचालक खेल एवं युवा कल्याण।
- (5) अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ से अभिप्रेत है एशियाई या विश्वस्तर के खेल महासंघ जिन्हें अपने कार्य क्षेत्र में संबंधित खेलों की प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु सक्षम संस्था द्वारा अधिकृत किया गया है, तथा राष्ट्रीय खेल महासंघ उसकी संलग्नता प्राप्त इकाई हो।

- (6) राष्ट्रीय खेल संघ से अभिप्रेत है राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित खेल का आयोजन करने हेतु भारतीय ओलम्पिक संघ या युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था। यदि भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारत सरकार द्वारा अलग-अलग संघों को मान्यता प्रदान की गई हो तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से है।
- (7) राज्य खेल संघ से अभिप्रेत है राष्ट्रीय खेल संघ की संलग्नता प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य इकाई।
- (8) जिला खेल संघ से अभिप्रेत है राज्य खेल संघ की संलग्नता प्राप्त जिला इकाई।
- (9) संस्था से अभिप्रेत है खेल गतिविधियों के संचालन के उद्देश्य से गठित तथा फर्म एवं सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था।
- (10) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से अभिप्रेत है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जिसमें भारतीय दल को भाग लेने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति/वित्तीय सहायता प्रदान की गई है अथवा जिसमें भारतीय दल को संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ/भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भाग लेने हेतु भेजा जा रहा है।
- (11) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से अभिप्रेत है राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित उस प्रतियोगिता से है, जिसका विजेता उस वर्ष के लिए अधिकृत तौर पर राष्ट्रीय विजेता कहलाता है।
- (12)
 1. जोनल प्रतियोगिता से तात्पर्य राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा पूरे देश को एक से अधिक क्षेत्र में विभाजित कर आयोजित की जाने वाली अधिकृत क्षेत्रीय प्रतियोगिता।
 2. फेडरेशन कप प्रतियोगिता से तात्पर्य राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा फेडरेशन कप के नाम से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता।
 3. रैंकिंग प्रतियोगिता से तात्पर्य राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा रैंकिंग प्रतियोगिता के नाम से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता, जिसमें खिलाड़ी या दल को राष्ट्रीय स्तर की "रैंकिंग" प्रदान की जाती है।
- (13) राज्य चैम्पियनशिप से अभिप्रेत है राज्य खेल संघ द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित उस प्रतियोगिता से है, जिसका विजेता उस वर्ष के लिए अधिकृत तौर पर राज्य विजेता कहलाता है।
- (14) सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता से अभिप्रेत है उस प्रतियोगिता से, जिसमें भाग लेने हेतु आयु संबंधी किसी भी प्रकार की शर्त न हो।
- (15) मिनी/सबजूनियर/जूनियर/यूथ/वेटरन्स/मास्टर वर्ग की प्रतियोगिता से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा अपने खेल के लिए संबंधित वर्ग हेतु घोषित आयु सीमा के खिलाड़ियों के लिए आयोजित प्रतियोगिता।
- (16) मान्यता से अभिप्रेत है, संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण एवं इसके अधीनस्थ जिला कार्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के तहत संघ/संस्था को प्रदाय मान्यता।

3. संबंधित खेल—

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित खेलों से संबंधित खेल संघ/संस्था, विभागीय मान्यता एवं आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

- (1) ओलम्पिक, एशियाड, राष्ट्रमण्डलीय खेल, राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित, खेल या पैरा स्पोर्ट्स (PARA SPORTS) (उपरोक्त में सम्मिलित ऐसे खेलों को ही विचार में लिया जाएगा, जिन पर प्राप्त होने वाला पदक संबंधित आयोजन को पदक तालिका में कम निर्धारण हेतु सम्मिलित किया जाता है।) इसके अतिरिक्त तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु आयोजित खेल तथा योग को भी इस प्रयोजन हेतु सम्मिलित किया जाएगा।
- (2) ऐसे खेल जिन्हें भारतीय विश्वविद्यालय खेलों में सम्मिलित किया गया है।
- (3) ऐसे खेल जिन्हें भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय आयोजन हेतु दिए जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए विचार क्षेत्र में लिया जाता है।

4. उद्देश्य—

- (1) प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास, प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए खेल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्रदेश में खेल संस्थाओं को स्थापित कर, खेलों में जुड़े व्यक्तियों तथा उनके प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल संस्थाओं/संघों को विभागीय मान्यता प्रदान करना।
- (2) उन खेलों को राज्य में प्रोत्साहित करना, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सामूहिक खेल आयोजनों में सम्मिलित है।
- (3) राज्य में खेल संचालित करने हेतु ऐसे संस्थाओं को चिन्हित करना, जिनके माध्यम से राज्य के खिलाड़ी राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त आयोजनों में अधिकृत रूप से भाग ले सकें।
- (4) राज्य के खेल संस्थाओं को विधि मान्य एवं व्यवस्थित रूप प्रदान करना तथा इसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ना, ताकि प्रत्येक खेल के विकास के लिए स्वयंसेवी रूप में वे अधिकाधिक समय दे सकें।
- (5) राज्य में विकास खण्ड स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक — खेल आयोजन/प्रशिक्षण शिविर आयोजन/खेल संघों की सामान्य गतिविधियों को प्रोत्साहन देना।
- (6) राज्य में विभागीय बजट का इस प्रकार से उपयोग करना, जिससे राज्य के खिलाड़ी अधिकाधिक लाभ एवं सुविधा प्राप्त कर सकें।
- (7) राज्य में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सभी जिलों का तथा जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सभी विकासखण्डों की भागीदारी हो तथा जिला स्तर पर क्लब संस्कृति को बढ़ावा मिले।
- (8) राज्य के सुदूर अंचल एवं जिले के खिलाड़ी विशेषकर (आदिम जनजाति वर्ग के खिलाड़ी) जो अर्थाभाव या सुविधाओं के अभाव में खेल की मुख्य धारा में जुड़ने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें जिला/राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देना।

5. मान्यता—

- (1) राज्य में संचालित राज्य/जिला स्तर के खेल संघों एवं अन्य खेल संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही निम्नांकित शर्तों की पूर्ति पश्चात् की जाएगी।
- (2) खेल संघ/संस्था, खेल के विकास व संवर्धन के लिए गठित हो।
- (3) खेल संघ/संस्था, रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत जीवित पंजीकृत होना चाहिए।
- (4) संस्था की जिला/संभाग/राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भागीदारी हो।
- (5) राज्य खेल संघ को मान्यता के लिए अपने राष्ट्रीय खेल फेडरेशन से संबद्ध होना आवश्यक होगा संबद्धता का अधिकृत पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- (6) जिला खेल संघ को मान्यता के लिए मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ से संबद्धता प्राप्त होना आवश्यक होगा तथा जिला स्तर से निम्न स्तर के खेल संघ एवं खेल संस्थाओं को मान्यता प्राप्त जिला खेल संघ/राज्य खेल संघ से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (7) पैरालिम्पिक से संबंधित राज्य/जिला खेल संघ/खेल संस्थाएँ एवं ऐसे खेल के राज्य/जिला खेल संघ/खेल संस्थाएँ जो ओलम्पिक या एशियाड या कॉमनवेल्थ खेलों में सम्मिलित हैं, उन्हें मान्यता प्रदान करने की अन्य शर्तों की पूर्ति होने पर मान्यता प्रदान की जा सकेगी। शेष खेलों के राज्य/जिला खेल संघ/खेल संस्थाएँ को मान्यता प्रदान करने हेतु, राज्य संघ के मामले में कम से कम 9 जिला इकाईयाँ संबद्ध होना आवश्यक होगी। इसी प्रकार जिला खेल संघ के मामले में कम से कम 4 इकाईयाँ संबद्ध होनी चाहिए।

- (8) कोई भी व्यक्ति यदि एक से अधिक खेलों में राज्य स्तरीय संघ का अध्यक्ष या सचिव या कोषाध्यक्ष है तो उससे संबंधित किसी एक राज्य खेल संघ को मान्यता दी जाएगी।
- (9) जिला खेल अधिकारी/विभागीय अधिकारी द्वारा संस्था के निरीक्षण के उपरांत उसकी अनुशंसा पर ही विभागीय मान्यता प्रदान की जा सकेगी।
- (10) मान्यता हेतु निर्धारित प्रपत्र में वांछित जानकारी एवं दस्तावेजों के साथ आवेदन करना आवश्यक होगा। निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट अ में संलग्न है। संचालक को निर्धारित प्रपत्र में उल्लेखित वांछित जानकारी एवं दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य जानकारी एवं दस्तावेज, संस्था से प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- (11) संस्था/संघ को आवेदन के साथ, संस्था के वर्तमान पदाधिकारी/प्रबंधकारिणी की सूची एवं नियमावली रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी से अभिप्राणित कराकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (12) राज्य एवं जिला संघ का अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष राज्य में निवासरत होना चाहिए, अखिल भारतीय शासकीय सेवा या राज्य सेवा में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी जो संघ के किसी पद पर चयन के समय छत्तीसगढ़ में पदस्थ था, लेकिन वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर अन्य राज्यों में पदस्थ है, उस पर सिर्फ एक कार्यकाल के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी।
- (13) प्रत्येक स्तर का संघ अपने संविधान में संचालनालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों के तहत संशोधन/पालन करने हेतु सहमत हो।
- (14) विभागीय मान्यता प्राप्ति के पश्चात ही संघ/संस्था शासन से अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- (15) विभाग द्वारा एक खेल में एक ही, राज्य/जिला इकाई को मान्यता प्रदान की जावेगी, यदि एक ही खेल के दो या दो से अधिक राज्य/जिला इकाई द्वारा विभागीय मान्यता हेतु दावेदारी प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय फेडरेशन/राज्य संघ द्वारा किसी एक संघ की संबद्धता प्रदान करने हेतु अनुशंसा करने के उपरांत ही मान्यता दी जायेगी।

6. मान्यता संबंधी संचालक के अधिकार—

संघ/संस्थाओं को मान्यता देने, उसे स्थगित करने, उसे समाप्त करने के लिए संचालक खेल एवं युवा कल्याण सक्षम होंगे। मान्यता स्थगित या समाप्त करने के लिए साधारणतः संचालक द्वारा 21 दिवस का अवसर दिया जावेगा, ताकि संस्था अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।

7. निम्न कारणों से मान्यता समाप्त की जा सकेगी—

- (1) संस्था के वित्तीय अनियमितता तथा अविश्वसनीयता पर।
- (2) संघ या संगठन द्वारा राष्ट्रीय खेल संघ से समय-समय प्राप्त होने वाले अनुदेशों का पालन न होने पर।
- (3) विभागीय अधिकारियों/अंकेक्षकों द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की परिशुद्धता तथा शीघ्रता से पालन न करने पर तथा विभाग द्वारा निर्धारित पंजियों तथा अभिलेखों को उचित ढंग से संधारित न करने पर।
- (4) संस्था के नियमों, उप नियमों और संविधान का व्यवस्थित रीति से अनुसरण न करने पर।
- (5) संचालनालय द्वारा मांगे जाने वाले विवरणों, प्रतिवेदनों एवं अन्य जानकारी उपलब्ध न कराए जाने पर।
- (6) मान्यता संबंधी शर्तों का उल्लंघन होने पर।
- (7) लैंगिक असमानता/उत्पीड़न, या संस्था के पदाधिकारी द्वारा किया गया ऐसा कोई कार्य जिसे संचालक खेल एवं युवा कल्याण द्वारा अवांछनीय माना गया हो।

8. मान्यता समाप्ति के विरुद्ध अपील—

अधिकारों के अंतर्गत संचालक द्वारा यदि मान्यता समाप्त की जाती है तो, इसकी अपील, आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर प्रशासकीय विभाग को की जा सकेगी।

9. आर्थिक सहायता हेतु वर्ग एवं खेलों का श्रेणीकरण

- (1) आयु वर्ग – संबंधित खेल के राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा जितने आयु वर्ग में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित की जाती है, वे सभी आयु वर्ग, इन नियमों के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए विचार क्षेत्र में सम्मिलित किए जाएंगे। यदि संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा पैरा स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है तो यह वर्ग भी आर्थिक सहायता के लिये विचार क्षेत्र में सम्मिलित होगा। परन्तु एक खेल को अधिकतम चार आयु वर्गों में ही इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिये आयोजित प्रतियोगिता एवं योग प्रतियोगिता के लिये भी आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी।

(2) खेलों का श्रेणीकरण –

- (अ) 'अ' श्रेणी :- ऐसे खेल 'अ' श्रेणी में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्हें, भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा "उच्च प्राथमिकता या प्राथमिकता श्रेणी" में सूचीबद्ध किया गया हो,

या

ओलम्पिक/एशियाड/कॉमनवेल्थ गेम्स/राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित खेल में से वे खेल जिनके खिलाड़ियों ने विगत तीन वर्षों में सबजूनियर या जूनियर या सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की ओर से खेलते हुए पदक जीते हो या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया है।

नोट :- यदि किसी खेल को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पदक या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने के आधार पर 'अ' श्रेणी में रखा गया है तो संबंधित खेल में विगत तीन वर्षों में उक्त उपलब्धि के पुनः प्राप्त होने पर ही उस खेल का श्रेणीकरण 'अ' श्रेणी में निरंतर रहेगा अन्यथा उसे 'ब' श्रेणी में सूचीबद्ध किया जायेगा।

- (ब) उपरोक्त खेलों के अतिरिक्त ऐसे खेल, जो इस नियम के नियम 3 के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए हों, उन्हें श्रेणी 'ब' में सम्मिलित किया जाएगा।

- (स) प्रतिवर्ष संचालनालय द्वारा 'अ' एवं 'ब' श्रेणी के खेलों की सूची घोषित की जाएगी।

10. आर्थिक सहायता—

- (1) आवेदन की पात्रता राज्य खेल संघ, जिला खेल संघ एवं पंजीकृत खेल संस्थाओं को निम्नांकित गतिविधियों के लिए आवेदन की पात्रता होगी :-

(अ) राज्य खेल संघ

- (i) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन
- (ii) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजन
- (iii) जोनल एवं फेडरेशन कप आयोजन
- (iv) राज्य चैम्पियनशिप आयोजन
- (v) अखिल भारतीय, राज्य स्तरीय आमंत्रण/रेकिंग प्रतियोगिता आयोजन
- (vi) राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजन
- (vii) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय
- (viii) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय
- (ix) सामान्य अनुदान।

(ब) जिला खेल संघ

- (i) जिला स्तरीय चैम्पियनशिप आयोजन
- (ii) अखिल भारतीय आमंत्रण खेल प्रतियोगिता आयोजन
- (iii) राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय
- (iv) सामान्य अनुदान

(स) पंजीकृत खेल संस्थाएं

- (i) अखिल भारतीय आमंत्रण खेल प्रतियोगिता आयोजन, जिला स्तरीय अंतर शालेय प्रतियोगिता आयोजन
- (ii) विकासखण्ड, तहसील स्तरीय इंटर क्लब, अंतर शालेय प्रतियोगिता आयोजन।
- (iii) सामान्य अनुदान।

- (2) **आर्थिक सहायता एवं शर्तः—** मान्यता प्राप्त खेल संघ/संस्थाओं को निम्नानुसार उल्लेखित शर्तों के अधीन आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

- (1) **दैनिक व्यय की राशि :-** विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजन तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में भागीदारी हेतु आर्थिक सहायता की राशि की गणना हेतु "दैनिक व्यय की राशि को आधार माना जाएगा। दैनिक व्यय की राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगी, अर्थात् :-

- (अ) आर्थिक सहायता स्वीकृति हेतु दैनिक व्यय की राशि की गणना के लिए शासन के तृतीय श्रेणी कर्मचारी को मिलने वाले न्यूनतम वेतन मान (वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 03) में एक दिवस के वेतन (वेतन + महंगाई भत्ता) को आधार माना जाएगा।
- (ब) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल की तिथि में उपरोक्त वेतन मान या इसके तत्स्थानी वेतन मान पर मिलने वाले एक दिवस का वेतन की राशि संबंधित वित्तीय वर्ष में आर्थिक सहायता स्वीकृति हेतु, दैनिक व्यय की राशि मानी जाएगी तथा संबंधित वित्तीय वर्ष में समय-समय पर होने वाले महंगाई भत्ते के परिवर्तन से इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (स) दैनिक व्यय की राशि को नजदिकी 50 अंकों की सीमा में पूर्णांकित किया जाएगा। अर्थात् 500 से 549 को 500 एवं 550 से 599 को 550 माना जाएगा।
- (द) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल की तिथि में लागू होने वाले दैनिक व्यय की राशि की घोषणा संचालनालय द्वारा प्रतिवर्ष की जावेगी।

- (2) **अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन हेतु आर्थिक सहायता :-** अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन हेतु रूपए 100 लाख की सीमा में आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी। परन्तु उक्त स्वीकृति हेतु संबंधित खेल संघ को पर्याप्त समय पूर्व सम्पूर्ण आवश्यक जानकारी के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। तत्संबंध में बजट उपलब्ध होने पर या बजट प्रावधान कर दिए जाने के उपरान्त ही, तत्संबंधी स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

- (3) **राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता :-** राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता की गणना, 'अ' एवं 'ब' श्रेणी के खेलों के लिए निम्नांकित सूत्र के आधार पर की जाकर, राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

श्रेणी	आर्थिक सहायता की गणना का सूत्र
'अ' श्रेणी	दल सदस्यों की कुल संख्या x 3 दिवस x दैनिक व्यय की राशि
'ब' श्रेणी	दल सदस्यों की कुल संख्या x 3 दिवस x दैनिक व्यय की राशि x 60%

शर्तः—

- (i) एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन दलीय खेल एवं तीन व्यक्तिगत खेलों के राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजन हेतु राज्य खेल संघों को आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। प्रथम सूचना के आधार पर आवेदन विचार क्षेत्र में लिए जाएंगे। विगत वर्ष जिस खेल के लिए स्वीकृति दी गई है वर्तमान में उससे दूसरे खेल को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ii) किसी एक खेल संघ को एक वित्तीय वर्ष में एक राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने हेतु आर्थिक सहायता स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा। एक ही आयोजन तिथि में यदि विभिन्न आयु वर्ग, लिंग समूहों में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है तो, इसे एक प्रतियोगिता की श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन यदि आयोजन तिथि अलग-अलग है तो, प्रत्येक आयोजन तिथि पर आयोजित प्रतियोगिता एक अलग प्रतियोगिता की श्रेणी में मानी जाएगी तथा किसी एक आयोजन तिथि पर आयोजित प्रतियोगिता के लिए संबंधित खेल संघ का आवेदन, आर्थिक सहायता हेतु विचार में लिया जा सकेगा।
- (iii) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजन हेतु भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के माध्यम से दी जाने वाली आर्थिक

सहायता को आवेदक संघ द्वारा अपने आयोजन व्यय विवरण में दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।

- (iv) कम से कम 10 राज्यों के दल यदि भाग ले रहे हों तभी, राष्ट्रीय चैम्पियनशीप आर्थिक सहायता के लिए विचार क्षेत्र में ली जाएगी।
- (v) प्रतियोगिता के पश्चात् संबंधित खेल संघ, भाग लेने वाले दलों के एन्ट्री फॉर्म की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेंगे।
- (vi) दल सदस्यों की संख्या में खिलाड़ी, दल प्रबंधक, प्रशिक्षक, आयोजन समिति के सदस्य, निर्णायक सम्मिलित होंगे। तत्संबंधी अभिप्रमाणित सूची आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत करनी होगी।
- (vii) यदि राष्ट्रीय प्रतियोगिता का एक दिवसीय आयोजन किया जा रहा है तो गणना सूत्र में दिवसों की संख्या 03 के स्थान पर 02 होगी, एवं तदनुसार आर्थिक सहायता की गणना की जाएगी।

- (4) **राज्य चैम्पियनशिप हेतु आर्थिक सहायता :-** राज्य चैम्पियनशिप के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता की गणना, 'अ' एवं 'ब' श्रेणी के खेलों के लिए निम्नांकित सूत्र के आधार पर की जाकर, राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

श्रेणी	आर्थिक सहायता की गणना का सूत्र
'अ' श्रेणी	दल सदस्यों की कुल संख्या x 3 दिवस x दैनिक व्यय की राशि x 60%
'ब' श्रेणी	दल सदस्यों की कुल संख्या x 3 दिवस x दैनिक व्यय की राशि x 40%

शर्तें:-

- (1) कम से कम 07 जिलों के दल भाग ले रहे हों, तभी यह प्रतियोगिता आर्थिक सहायता के लिए विचार क्षेत्र में आएगी।
- (2) राज्य प्रतियोगिता में बस्तर एवं सरगुजा संभाग से कम से कम, एक-एक (जिला दल) की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। यदि कोई राज्य संघ ऐसा नहीं कर पाया तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि, ऐसा किन कारणों से नहीं हो पाया है। राज्य संघ को यह भी अवगत कराना होगा कि बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों से खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए राज्य संघ द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं एवं इन संभाग से खिलाड़ियों की राज्य प्रतियोगिता में भागीदारी कब तक सुनिश्चित हो सकेगी।
- (3) यदि एक से अधिक वर्ग (सीनियर, जूनियर, सबजूनियर आदि) की प्रतियोगिता एक ही मुख्यालय पर संयुक्त रूप से आयोजित हो रही हो एवं प्रतियोगिता में यदि कोई खिलाड़ी एक से अधिक वर्गों में भाग ले रहा हो तो, उसे गणना में केवल एक बार ही सम्मिलित किया जाएगा।
- (4) दल सदस्यों की कुल संख्या में खिलाड़ी, दल प्रबंधक, प्रशिक्षक, आयोजन समिति के सदस्य, निर्णायक सम्मिलित होंगे। तत्संबंधी अभिप्रमाणित सूची आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत करनी होगी। यदि विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो तत्संबंधी सूची आयोजन प्रारंभ होने के 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता होगी।

- (5) **राज्य स्तरीय आमंत्रण/रैंकिंग प्रतियोगिता आयोजन हेतु आर्थिक सहायता एवं शर्तें :-**

आर्थिक सहायता :- राज्य स्तरीय आमंत्रण/रैंकिंग प्रतियोगिता आयोजन हेतु अधिकतम रु. 02 लाख।

शर्तें:-

- (1) प्रत्येक खेल के लिए प्रत्येक वर्ग (आयु वर्ग तथा पुरुष/महिला वर्ग) हेतु एक आमंत्रण या रैंकिंग प्रतियोगिता के आयोजन हेतु बजट उपलब्ध होने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- (2) राज्य के कम से कम पांच जिलों से दलों का भाग लेना अनिवार्य होगा।
- (3) अनुदान राशि की गणना नियम 10(2)(4) के अनुरूप की जा सकेगी।

- (4) इन प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कम से कम एक माह पूर्व से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- (6) जिला स्तरीय चैम्पियनशिप आयोजन हेतु आर्थिक सहायता एवं शर्तें :-

आर्थिक सहायता :- आर्थिक सहायता की गणना निम्नांकित सूत्र के आधार पर की जाएगी
दल सदस्यों की कुल संख्या x दैनिक व्यय की राशि x 60%

शर्तें :- दल सदस्यों की संख्या में खिलाड़ी, दल प्रबंधक, प्रशिक्षक, आयोजन समिति के सदस्य, निर्णायक सम्मिलित होंगे। तत्संबंधी अभिप्रमाणित सूची आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत करनी होगी।

- (7) अखिल भारतीय आमंत्रण खेल प्रतियोगिता आयोजन/जोनल/फेडरेशन कप प्रतियोगिता आयोजन हेतु आर्थिक सहायता एवं शर्तें :-

आर्थिक सहायता :- अखिल भारतीय आमंत्रण खेल प्रतियोगिता आयोजन, जोनल या फेडरेशन कप प्रतियोगिता आयोजन हेतु अधिकतम रुपये पांच लाख या आयोजक द्वारा अपने आय के स्रोत से किए गए व्यय के बराबर राशि जो भी कम हो, स्वीकृत किये जा सकेंगे।

शर्तें:- अखिल भारतीय आमंत्रण/जोनल/फेडरेशन कप प्रतियोगिता आयोजन हेतु कम से कम 5 राष्ट्र स्तरीय इकाईयों या राज्यों से दलों का भाग लेना आवश्यक होगा। बजट उपलब्ध होने पर आर्थिक सहायता हेतु विचार किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कम से कम तीन माह पूर्व संबंधित प्रशासकीय विभाग से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- (8) (1) विकासखण्ड/तहसील स्तरीय, इंटर क्लब, अंतरशालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु आर्थिक सहायता एवं शर्तें :-
आर्थिक सहायता :-

आर्थिक सहायता की गणना निम्नांकित सूत्र के आधार पर की जाएगी
दल सदस्यों की कुल संख्या x दैनिक व्यय की राशि x 50%

शर्तें :- विकासखण्ड तहसील स्तरीय इंटर क्लब, अंतरशालेय प्रतियोगिता हेतु स्थानीय दलों को सम्मिलित किया जा सकेगा एवं कम से कम 04 दल का भाग लेना आवश्यक होगा।

- (2) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता एवं शर्तें:-
आर्थिक सहायता :-

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विदेश जाने के लिए दल के प्रस्थान मुख्यालय से आयोजन मुख्यालय तक जाने एवं वापसी हेतु यात्रा का वास्तविक किराया (इकोनामी दर्जे में हवाई यात्रा का न्यूनतम किराया या अन्य साधनों से की गई यात्रा का वास्तविक किराया दोनों में से जो भी कम हो) आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी। उपरोक्त प्रावधान के साथ-साथ हितग्राही के निवास स्थान से दल प्रस्थान स्थल तक का वातानुकुलीत तृतीय श्रेणी रेल किराया अथवा विशेष परिस्थितियों में यदि हवाई यात्रा करनी पड़े तो एकांनमी क्लास का किराया एवं यात्रा अवधि में दैनिक भत्ता की राशि की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी।

शर्तें :-

- (1) यह आर्थिक सहायता संबंधित खेल के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत एक दल में सम्मिलित होने वाले समस्त सदस्यों (यथा खिलाड़ी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, प्रबंधक, चिकित्सक या अन्य कोई सदस्य, जिन्हें संबंधित खेल के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत दल में सम्मिलित किया गया है) के लिए देय होगी।
- (2) यह आर्थिक सहायता उन प्रकरणों में स्वीकृत की जा सकेगी जिनके लिए भारत सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण/राष्ट्रीय खेल संघ अथवा नियोक्ता से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रावधान

नहीं है या इनके द्वारा उपरोक्त प्रावधान से कम राशि प्रदान की जा रही है।

- (3) ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जिसमें खिलाड़ी या दल को आमंत्रण के आधार पर प्रतियोगिता में सीधे प्रवेश मिला हो या खिलाड़ी/दल द्वारा अपनी प्रविष्टि आयोजकों को प्रेषित कर प्रतियोगिता में प्रवेश प्राप्त किया गया हो, उनके लिए यह आर्थिक सहायता देय नहीं होगी। तथापि ओलम्पिक मेडल गेम्स में सम्मिलित व्यक्तिगत खेलों के ऐसे खिलाड़ी जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 20वीं वरीयता प्राप्त हो यदि उनके द्वारा किसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रण प्रतियोगिता में भाग लिया जा रहा हो तो प्रशासकीय विभाग तत्संबंधी भागीदारी के लिए यात्रा व्यय की स्वीकृति कर सकेगा।

- (4) एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति को किसी खेल विशेष के संदर्भ में एक बार यह सुविधा प्राप्त होगी।

(9) (1) (क) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/राष्ट्रीय खेल में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय गणना :-

- (1) प्रस्थान मुख्यालय से आयोजन मुख्यालय जाने एवं वापसी का वास्तविक रेल किराया (रियायती दर पर) या मोटर वाहन का वास्तविक किराया (दोनों में से जिसमें यात्रा की गई हो) स्वीकृत किया जा सकेगा। ऐसे गंतव्य जहां रेल यात्रा संभव न हो एवं रेल यात्रा के साथ-साथ पानी/हवाई जहाज या मोटर वाहन से यात्रा आवश्यक हो तो रेल किराया के साथ संबंधित उक्त यात्रा साधनों का वास्तविक किराया भी देय होगा।

- (2) किराया के अतिरिक्त प्रस्थान मुख्यालय से गंतव्य मुख्यालय की यात्रा अवधि एवं वापसी यात्रा अवधि के लिए प्रति 24 घंटे हेतु दैनिक व्यय की राशि का 60% प्रति सदस्य के मान से दैनिक भत्ता हेतु राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

- (3) संबंधित खेल के नियमों के अनुरूप एक दल में खिलाड़ियों, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, प्रबंधक, अन्य कोई सदस्य जिसे नियमों के अंतर्गत दल का सदस्य मान्य किया जा सके, इन सभी को दल का सदस्य माना जाएगा।

(ख) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के पूर्व राज्य दल के प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता गणना :-

अधिकतम 30 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हेतु आर्थिक सहायता देय होगी। जिसकी गणना निम्नांकित सूत्र के आधार पर की जा सकेगी।

शिविर में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या x शिविर के दिवस x दैनिक व्यय की राशि x 60%

शर्तें :-

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के पूर्व प्रशिक्षण शिविर हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन आर्थिक सहायता की पात्रता होगी।

- (1) संबंधित खेल के नियमों के अनुरूप एक दल में खिलाड़ियों, प्रशिक्षक एवं प्रबंधक की निर्धारित संख्या को दल का सदस्य माना जाएगा तथा प्रशिक्षण शिविर में एक दल के सदस्य संख्या के 150 प्रतिशत तक सदस्य सम्मिलित किए जा सकेंगे।
- (2) दल के प्रबंधक का मनोनयन खेल संघ द्वारा किया जाएगा जिसकी सूचना विभाग को दिया जाना अनिवार्य रहेगा। महिला दल के साथ महिला मैनेजर का मनोनयन संबंधित खेल संघ को करना चाहिए।
- (3) दल के चयन हेतु गठित चयन समिति में संचालनालय या उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा यदि कोई सदस्य मनोनीत किया जाए तो उसे चयन समिति में अनिवार्यतः सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

- (4) प्रशिक्षण शिविर हेतु संचालनालय पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा तथा पर्यवेक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आर्थिक सहायता स्वीकृत होगी।
- (5) प्रशिक्षण शिविर का अन्य व्यय संबंधित खेल संघ वहन करेंगे।
- (6) प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षार्थियों एवं अन्य सदस्यों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस रखा जाएगा तथा बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन की रिपोर्ट अभिप्रमाणित कर शिविर के प्रतिवेदन में अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाएगी तथा इसी के आधार पर आर्थिक सहायता का अंतिम निर्णय किया जाएगा।

(10) सामान्य अनुदान :- खेल संघ एवं संस्थाओं को सामान्य गतिविधियों हेतु निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी :-

(1) आर्थिक सहायता :-

(अ) राज्य स्तरीय खेल संघ - रु. पचहत्तर हजार प्रतिवर्ष ('अ' श्रेणी के खेल)

रु. पचास हजार प्रतिवर्ष ('ब' श्रेणी के खेल)

(ब) जिला स्तरीय खेल संघ - रु. पच्चीस हजार प्रतिवर्ष

(स) पंजीकृत खेल संस्थाएं - रु. पन्द्रह हजार प्रतिवर्ष

(2) शर्तें :-

(अ) राज्य एवं जिला खेल संघों को इसकी पात्रता तभी होगी जब संबंधित खेल में सीनियर वर्ग तथा उससे निम्न वर्ग की सभी प्रतियोगिता का आयोजन विगत वर्ष किया जाकर राष्ट्रीय आयोजन में दल भेजा गया हो तथा वर्तमान वर्ष में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा रही हो।

(ब) पंजीकृत खेल संस्थाओं को इसकी पात्रता तभी होगी जब उनके द्वारा किसी खेल विशेष का नियमित अभ्यास केन्द्र संचालित किया जा रहा हो तथा नियम 10.1(स) से संबंधित किसी प्रतियोगिता का आयोजन विगत वर्ष किया गया हो।

(स) सामान्य अनुदान के अंतर्गत दी गई आर्थिक सहायता की राशि का उपयोग खेल संघ/संस्थाएं अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्यों के लिए उन मदों में व्यय हेतु कर सकेंगी जिसके लिए संघ/संस्था द्वारा पृथक से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की गई है।

(11) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के पूर्व राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर हेतु आर्थिक सहायता एवं शर्तें:-

आर्थिक सहायता :- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के पूर्व अधिकतम 30 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर हेतु आर्थिक सहायता देय होगी, जिसकी आर्थिक सहायता राशि की गणना निम्नांकित सूत्र के आधार पर की जाएगी।

उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या x शिविर के दिवस x दैनिक व्यय की राशि

शर्तें :-

- (1) राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शिविर उस शिविर को मान्य किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा स्वयं या राष्ट्रीय खेल संघ के निर्देश पर राज्य खेल संघ द्वारा राज्य में आयोजित किया गया है एवं उस शिविर के माध्यम से किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु भारतीय दल का चयन किए जाने की प्रक्रिया या चरणबद्ध प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही हो।
- (2) शिविर हेतु आर्थिक सहायता तभी देय होगी जब कि शिविर राज्य में आयोजित हो रहा हो तथा उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा चयनित कर सम्मिलित किए गए हों।
- (3) आर्थिक सहायता हेतु शिविरार्थियों की निम्नांकित अ एवं ब में से जो भी संख्या कम हो उसे गणना में लिया जाएगा।
 - (अ) प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा शिविर में भाग लेने हेतु चयनित एवं घोषित खिलाड़ी प्रशिक्षक एवं मैनेजर की संख्या।
 - (ब) संबंधित खेल के नियमों के अनुरूप एक दल में खिलाड़ियों प्रशिक्षक एवं प्रबंधक की निर्धारित संख्या का दुगुना।
- (4) प्रत्येक खेल विधा के लिए एक वित्तीय वर्ष में केवल एक प्रशिक्षण शिविर हेतु आर्थिक सहायता का आवेदन विचारार्थ स्वीकार किया जाएगा।
- (5) प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थियों एवं अन्य सदस्यों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस रखा जाएगा तथा बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन की रिपोर्ट अभिप्रमाणित कर शिविर के प्रतिवेदन में अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाएगी तथा इसी के आधार पर आर्थिक सहायता का अंतिम निर्णय किया जाएगा।

(12) कोचिंग का डिप्लोमा कोर्स हेतु आर्थिक सहायता :-

- (1) भारतीय खेल प्रधिकरण या लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित खेल प्रशिक्षण के डिप्लोमा पठ्यक्रम के लिये संबंधित संस्थान द्वारा जारी की गई शुल्क संरचना में उल्लेखित राशि का 80 प्रतिशत व्यय के लिये आर्थिक सहायता संबंधित खेल संघ को स्वीकृत की जा सकेगी।
- (2) प्रति वर्ष प्रत्येक खेल के लिये अधिकतम एक प्रशिक्षक का नामांकन संबंधित खेल संघ कर सकेंगे।
- (3) डिप्लोमा कोर्स का अन्य व्यय संबंधित खेल संघ या संबंधित प्रशिक्षणार्थी को वहन करना होगा।
- (4) संबंधित संस्थान में प्रवेश लेने हेतु चयन के लिये आवश्यक कार्यवाही करने तथा पात्रता की पूर्ति कर प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने का उत्तरदायित्व संबंधित संघ/प्रशिक्षणार्थी का होगा।
- (5) इस आर्थिक सहायता हेतु सत्र के प्रारंभ में मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जाएगी तथा प्रारंभिक संपूर्ण व्यय संबंधित खेल संघ को वहन करना होगा। संबंधित प्रशिक्षणार्थी द्वारा उक्त पत्रोपाधी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् यह आर्थिक सहायता संबंधित खेल संघ को देय होगी।

- (6) यदि किसी खेल में इस पत्रोपाधी के लिये, किसी वर्ष में एक से अधिक अभ्यर्थी, हो तो उनमें से किसी एक अभ्यर्थी को नामंकित करने का उत्तरदायित्व संबंधित खेल संघ का होगा। संबंधित खेल संघ द्वारा अभ्यर्थियों में से किसी एक का चयन किस आधार पर किया गया है इसे सर्वजनिक किया जाएगा तथा जानकारी खेल विभाग को भी प्रदाय की जाएगी। विभाग चाहे तो इस संबंध में अन्य जानकारियां भी संबंधित खेल संघ से मांग सकेगा।
- (7) संबंधित प्रशिक्षक का उपयोग खेल प्रशिक्षण में किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित खेल संघ का होगा।

(13) व्यायाम निदेशकों का प्रशिक्षण :-

- (1) राज्य में पदस्थ (शासकीय या अशासकीय विद्यालयों में) व्यायाम निदेशकों को किसी खेल का प्रशिक्षण देने हेतु यह आर्थिक सहायता देय होगी।
- (2) प्रत्येक वर्ष अधिकतम 10 खेल संघों को वर्ष में केवल एक बार इस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आर्थिक सहायता की पात्रता होगी। प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिये। अधिकतम 30 दिवस का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा सकेगा। यदि किसी खेल संघ द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में 30 दिवस से कम दिवस का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है तो उसे शेष दिवसों के लिये दोबारा उसी वित्तीय वर्ष में आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होगी।
- (3) व्यायाम निदेशकों को विद्यालयों से भार मुक्त कराने का उत्तरदायित्व संबंधित खेल संघ का होगा।
- (4) आर्थिक सहायता की राशि की गणना निम्नांकित सूत्र के आधार पर की जाएगी।
व्यायाम निदेशकों की संख्या x शिविर दिवसों की संख्या x दैनिक व्यय की राशि x 60%
- (5) शिविर में व्यायाम निदेशकों की संख्या के अंतर्गत :- इन्हें प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति, शिविर व्यवस्था के सहयोगी व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे। जिनकी अधिकतम संख्या 05 होगी तथा शिविर में उपस्थित सदस्यों की कुलसंख्या अधिकतम 20 हो सकेगी।
- (6) शिविर में प्रशिक्षणार्थी की बाइयोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी तथा इसके लिये बाइयोमेट्रिक उपस्थिति मशीन का अनिवार्यतः उपयोग किया जाएगा। उपस्थिति रिपोर्ट खेल विभाग में प्रस्तुत की जाएगी।

(14) बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिए विशेष प्रावधान :-

- (क) बस्तर एवं सरगुजा संभाग में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन :-
- (1) बस्तर एवं सरगुजा संभाग में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकेगा।
- (2) आर्थिक सहायता संबंधित खेल के राज्य संघ या विभाग से मान्यता प्राप्त जिला संघ या राज्य संघ द्वारा अधिकृत किए जाने पर फर्म एवं सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत एवं राज्य संघ से संलग्नता प्राप्त जिला संघ को स्वीकृत की जा सकेगी। यदि राज्य संघ द्वारा किसी जिला संघ को अधिकृत किया गया है तो, संबंधित जिला संघ से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व राज्य संघ का ही होगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो, संबंधित राज्य संघ का आगामी अनुदान आवेदन विचार क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है।
- (3) आर्थिक सहायता की गणना निम्नांकित सूत्र के आधार पर की जाएगी।
भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या x दैनिक व्यय की राशि x 80% + भाग लेने वाले दल सदस्यों का वास्तविक यात्रा किराया (निवास के जिला मुख्यालय से आयोजन जिला मुख्यालय तक का)

(ख) बस्तर-सरगुजा संभाग में प्रदर्शन मैच :-

- (1) बस्तर-सरगुजा संभाग के प्रत्येक जिले में खेलों का प्रदर्शन करने एवं उन जिलों के खिलाड़ियों को खेल के नए कौशल एवं नियमों से परिचित करने के लिये प्रदर्शन मैच आयोजन हेतु आर्थिक सहायता देय होगी।
- (2) दलीय खेलों के लिये अधिकतम दो दलों का व्यय गणना में लिया जाएगा। जबकि व्यक्तिगत खेलों के लिये प्रत्येक वर्ग (आयु वर्ग या वजन वर्ग) में दो खिलाड़ियों का व्यय गणना में लिया जाएगा। इनके साथ व्यवस्था के सहयोगी व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे। जिनकी अधिकतम संख्या 05 होगी।
- (3) प्रदर्शन मैच हेतु प्रस्थान करने पर प्रत्येक संभाग के दो जिलों में उक्त प्रदर्शन मैच का प्रदर्शन करना होगा।
- (4) व्यय गणना हेतु प्रदर्शन मैच में सम्मिलित दल सदस्यों को उनके जिला मुख्यालय से आयोजन मुख्यालय के जिलों तक जाने एवं वापस आने का रेल/बस किराया (आवश्यकता होने पर दोनों किराया सम्मिलित रूप से) एवं यात्रा आवधि तथा प्रदर्शन मैच आवधि का प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति दैनिक व्यय की राशि का 60% के मान से राशि की गणना की जाएगी। उक्त गणना राशि आर्थिक सहायता के रूप में देय होगी जिसका व्यय खेल संघ द्वारा प्रदर्शन मैच आयोजन हेतु होने वाले अनुषांगिक मदों में किया जा सकेगा।
- (5) एक खेल के लिये एक संभाग में अधिकतम 05 दिवस की यात्रा हेतु पात्रता होगी।
- (6) प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक संभाग के लिये अधिकतम 05 खेलों को इस हेतु पात्रता होगी तथा खेलों का चयन प्रथम आवेदन प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जायेगा।

(15) रेफरी क्लिनिक :-

- (1) प्रत्येक राज्य खेल संघ को एक वित्तीय वर्ष में एक बार "रेफरी क्लिनिक" आयोजित करने हेतु आर्थिक सहायता की पात्रता होगी।
- (2) आर्थिक सहायता की गणना निम्नांकित सूत्र के आधार पर की जाएगी
क्लिनिक में प्रतिभागियों की संख्या x 02 x दैनिक व्यय की राशि
- (3) आवेदक संघ को रेफरी क्लिनिक हेतु आर्थिक सहायता की पात्रता तभी होगी जबकि उसके द्वारा राज्य स्तरीय रेफरी प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित कर, रेफरी प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हों।
- (4) प्रत्येक वर्ष अधिकतम 10 खेलों को इसके लिए पात्रता होगी तथा खेलों का चयन प्रथम आवेदन प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जायेगा।

(16) तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिये प्रतियोगिता आयोजन हेतु आर्थिक सहायता :-

- (1) तृतीय लिंग के व्यक्तियों के उत्थान/कल्याण के लिये कार्यरत एवं सोसायटी रजिस्ट्री करण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत संस्थाओं को तृतीय लिंग व्यक्तियों के लिये खेल प्रतियोगिता आयोजन हेतु, आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी।
- (2) तृतीय लिंग के व्यक्तियों के उत्थान/कल्याण के लिये कार्यरत ऐसी संस्थाएँ जिन्हें शासन के किसी विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो, उन संस्थाओं को आर्थिक सहायता स्वीकृति हेतु प्राथमिकता दी जा सकेगी।
- (3) चूंकि तृतीय लिंग व्यक्तियों के लिये खेल के क्षेत्र में जिला/राज्य/राष्ट्रीय संघ का गठन नहीं हुआ है अतः इनके लिये खेल प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु आर्थिक

सहायता प्राप्त करने वाली आवेदक संस्था के लिये इन नियमों की अन्य कंडिकाओं में उल्लेखित शर्तें शिथिलनीय होगी।

- (4) इस समूह के लिये किसी एक खेल या एक से अधिक खेलों का समूह या खेलों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हेतु आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी।
- (5) आर्थिक सहायता की गणना निम्नांकित सूत्र के आधार पर की जा सकेगी।
दल सदस्यों की कुल संख्या $\times$ 3 दिवस $\times$ दैनिक व्यय की राशि।
- (6) यदि किसी अवसर पर यह अनुभव किया जाए कि तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिये खेल प्रतियोगिता आयोजन हेतु कोई संस्था उपलब्ध नहीं है या सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में विभाग तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु जिला/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता आयोजित कर सकेगा तथा प्रतियोगिता आयोजन में होने वाला अनुषांगिक व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा ऐसी स्थिति में किसी संस्था को आर्थिक सहायता की स्वीकृति नहीं की जाएगी।

11.

आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि –

- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| (1) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन | — | एक वर्ष पूर्व |
| (2) राष्ट्रीय चैम्पियनशीप आयोजन | — | छः माह पूर्व |
| (3) राज्य चैम्पियनशीप आयोजन | — | 45 दिवस पूर्व |
| (4) जिला स्तरीय चैम्पियनशीप, अखिल भारतीय आमंत्रण, जोनल फेडरेशन कप प्रतियोगिता, विकासखण्ड/तहसील स्तरीय इंटर क्लब, अंतरशालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु | — | 30 दिवस पूर्व |
| (5) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु राष्ट्रीय, राज्य चैम्पियनशीप एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के पूर्व प्रशिक्षण शिविर आयोजन हेतु | — | 30 दिवस पूर्व |
| (6) सामान्य अनुदान | — | 15 अप्रैल से 30 जून के मध्य |
| (7) प्रशासकीय विभाग उक्त तिथि/समयावधि को परिवर्तित कर सकेगा। | | |

12.

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया –

मान्यता प्राप्त खेल संघ एवं संस्थाएं, निर्धारित प्रपत्र (जो कि परिशिष्ट ब में संलग्न है) में निर्धारित समय पूर्व अपने जिले में खेल विभाग के जिला कार्यालय में तीन प्रतियों पर पूर्णरूप से भरा हुआ आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेंगे। विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।

13.

स्वीकृति की प्रक्रिया –

- (अ) खेल संघ, खेल संस्थाओं को खेल विभाग द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने एवं विभाग द्वारा नियुक्त निरीक्षण अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन-अनुशंसा के आधार पर कैलेण्डर वर्ष के लिए (01 जनवरी से 31 दिसम्बर) मान्यता प्रदान की जाएगी। यह मान्यता तब तक निरंतर रहेगी, जब तक कि, यह स्वमेव निरस्त या स्थगित न हो जाए या विभाग द्वारा इसे निरस्त या स्थगित न किया जाए।

(ब) प्रत्येक संस्था को प्रतिवर्ष 30 नवम्बर की तिथि के पूर्व तक निर्धारित प्रपत्र में अपनी संस्था से संबंधित आवश्यक जानकारी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 'स' में संलग्न है। यदि कोई संस्था निर्धारित तिथि तक तत्संबंधी पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहती है तो, उसकी मान्यता स्वमेव स्थगित मानी जाएगी तथा यदि संस्था 31 दिसम्बर की तिथि तक वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहती है तो, उसकी

मान्यता स्वमेव निरस्त मानी जाएगी। संस्था द्वारा ऐसी जानकारी जिसे संचालनालय द्वारा मांगा जाए, प्रस्तुत करने पर एवं संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण द्वारा मान्य कर लिए जाने पर ही संस्था की मान्यता पुर्नजीवित होगी।

(स) संस्था की मान्यता स्थगित या निरस्त रहने की अवधि में संस्था द्वारा जिन गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, उन गतिविधियों के लिए संस्था आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी एवं ऐसी गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

- (2) शासन द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अनुपालन में आर्थिक सहायता की स्वीकृति विभाग प्रमुख या प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाएगी।
- (3) सामान्य अनुदान की स्वीकृति एवं भुगतान, पात्रता होने पर अग्रिम रूप से किया जाएगा।
- (4) आयोजनों के लिए निर्धारित समय पर समस्त आवश्यक जानकारियों एवं दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने की स्थिति में आयोजन पूर्व संस्था को प्राप्त होने वाली कुल अनुमानित आर्थिक सहायता राशि की सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाकर उस राशि का पचास प्रतिशत भाग अग्रिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा। शेष आर्थिक सहायता की स्वीकृति आयोजन पश्चात् वास्तविक गणना के आधार पर स्वीकृति की जाएगी।
- (5) प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता की सैद्धांतिक स्वीकृति आयोजन पूर्व प्रदान कर उसकी 90 प्रतिशत आर्थिक सहायता अग्रिम रूप से प्रदान की जाएगी। शेष आर्थिक सहायता की स्वीकृति आयोजन पश्चात् वास्तविक गणना के आधार पर स्वीकृति की जाएगी।

14.

सामान्य नियम –

- (1) संस्था का व्यय उसकी आय से अधिक होने की स्थिति में ही आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि संस्था को उद्योगों से प्रायोजक राशि प्राप्त हो रही हो तो, संस्था को इस राशि की प्राप्ति एवं इसके व्यय के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी विभाग को उपलब्ध करानी होगी।
- (2) प्रत्येक संस्था को अनुदान प्राप्ति के तीन माह के अंदर उसके उपयोग के संबंध में वास्तविक व्यय विवरण प्रस्तुत करना होगा, उक्त विवरण में प्राप्त आर्थिक सहायता का उद्देश्यपूर्ण उपयोग दर्शित होना चाहिए। अन्यथा उक्त विवरण प्रस्तुत करने तक उसके अन्य आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
प्रत्येक संस्था को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त आर्थिक सहायता का उपयोगिता प्रमाण पत्र, उसके आगामी वित्तीय वर्ष में 30 जून तक प्रस्तुत करना होगा। विगत वर्ष स्वीकृत आर्थिक सहायता का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होना लंबित रहने की स्थिति में संस्था के आवेदन पर नियमों के अंतर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा सकेगी, लेकिन उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही इसका भुगतान किया जा सकेगा। 30 जून के पश्चात् भी उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहने की स्थिति में संस्था के आर्थिक सहायता आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (3) संस्था को अपना वार्षिक अंकक्षण चार्टर्ड एकाउंटेंट से कराकर अनिवार्य रूप से विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
- (4) प्राप्त आर्थिक सहायता का निर्धारित समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं विभागीय/महालेखाकार द्वारा किए जाने वाले अंकक्षण के लिए निर्धारित तिथि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल होने पर आगामी अवसरों के लिए पात्रता होने के बावजूद भी संस्था को आर्थिक सहायता की स्वीकृति/भुगतान रोका जा सकता है।
- (5) संस्था का निरीक्षण विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।
- (6) प्रति वित्तीय वर्ष 30 अप्रैल तक प्रत्येक संस्था को अपना वार्षिक गतिविधियों का कैलेण्डर, संचालनालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। संस्था यदि ऐसे करने में असफल रहती है तो, संस्था को मिलने वाली आर्थिक सहायता में बजट सीमाओं के आधार पर कटौती की जा सकती है।

- (7) संस्था को अपने समस्त भुगतान बैंक के माध्यम से करना चाहिए। खिलाड़ियों को भुगतान एवं ऐसे भुगतान जिन्हें बैंक के माध्यम से किया जा सकता है उन्हें अनिवार्यतः बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
- (8) ऐसी संस्थाएँ जिनके द्वारा पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है उनके लिये यह आवश्यक होगा की संस्था की कार्यकारिणी में महिला पदाधिकारियों भी हो। ऐसी संस्था जिनके द्वारा दिव्यांग जनों के लिये भी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है उनके लिये यह आवश्यक होगा की संस्था की कार्यकारिणी में दिव्यांग पदाधिकारी भी हो। ऐसी संस्था जिनका पूर्व से गठन हो चुका है उनके लिये अपनी संस्था में महिला/दिव्यांग पदाधिकारियों को सम्मिलित करने हेतु इन नियमों के जारी होने के दिनांक से 18 माह का समय रहेगा।

15. निरसन –

इस नियम के प्रभावशील होते ही इससे संबंधित समस्त प्रचलित नियम, आज्ञाएँ और विज्ञप्तियाँ निरस्त हो जाएंगी, लेकिन उनके अधीन दी गई स्वीकृतियाँ इस नियम के अधीन दी गई या किए गए समझे जाएंगे।

16. व्याख्या/संशोधन –

- (1) इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा की गई व्याख्या अंतिम मानी जाएगी तथा ऐसे मामले जो नियमों में समाहित नहीं हैं, का निराकरण प्रशासकीय विभाग कर सकेगा।
- (2) विभाग इन नियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन, शिथिलीकरण करने हेतु सक्षम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत लाल बंजारे, उप-सचिव.

परिशिष्ट-अ
(नियम 5 का उपनियम 10)

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर
द्वारा उचित माध्यम.

विषय : विभागीय मान्यता के लिए आवेदन।

महोदय,

विषयांतर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत है।

01 संस्था से संबंधित, खेल का नाम :

02 संस्था से संबंधित खेल, निम्नांकित में से किसमें – किसमें सम्मिलित है ? (जो सही हो उसमें ✓ का निशान लगाये) :-

- | | | |
|------------------------------|----|-------------------|
| (1) ओलम्पिक | :- | सम्मिलित है/ नहीं |
| (2) एशियाड | :- | सम्मिलित है/ नहीं |
| (3) राष्ट्रमण्डलीय खेल | :- | सम्मिलित है/ नहीं |
| (4) भारतीय विश्वविद्यालय खेल | :- | सम्मिलित है/ नहीं |

(5) क्या भारत सरकार युवा कार्य, खेल
विभाग द्वारा राष्ट्रीय आयोजन हेतु, दिए
जाने वाले आर्थिक सहायता के लिए
इस खेल को विचार क्षेत्र में लिया जाता है। :- हाँ/ नहीं

03 संस्था के गठन का मुख्य उद्देश्य लिखे :-

- (1)
- (2)
- (3)

04 संस्था का नाम

05 संस्था के कार्यालय का पूर्ण डाक पता.....

06 (1) क्या संघ/संस्था, रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं छ.ग. से सोसायटी
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 तहत जीवित पंजीकृत है ? :- हाँ/ नहीं

(2) यदि हाँ तो निम्नांकित जानकारी दें :-

- (अ) पंजीयन क्रमांक :-
- (ब) पंजीयन दिनांक :-

07 संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का नाम, पता एवं दूरभाष क्रमांक एवं नमूना हस्ताक्षर

अध्यक्ष –

नाम.....

पत्र व्यवहार का पता

दूरभाष क्र..... व्हाट्सएप नं..... ईमेल पता

नमूना हस्ताक्षर-(1)..... (2)

सचिव –

नाम.....

पत्र व्यवहार का पता

दूरभाष क्र..... व्हाट्सएप नं..... ईमेल पता

नमूना हस्ताक्षर-(1)..... (2)

कोषाध्यक्ष –

नाम.....

पत्र व्यवहार का पता

दूरभाष क्र..... व्हाट्सएप नं..... ईमेल पता

नमूना हस्ताक्षर-(1)..... (2)

08 संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष क्या राज्य के बाहर निवासरत्त हैं ? यदि हों तो जानकारी दें।

09 (1) क्या संघ/संस्था की अपने उच्च स्तर के संघ से सम्बद्धता है ? :- हों/नहीं
(2) यदि हों तो निम्नांकित जानकारी दें :-

(अ) राज्य संघ के लिए संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ का नाम लिखे
(ब) जिला संघ के लिए संबंधित राज्य खेल संघ का नाम लिखे
(स) खेल संस्था के लिए संबंधित जिला संघ का नाम लिखे

10 क्या संस्था की, जिला/संभाग/राज्य स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी है ? :- हों/नहीं

11 संघ/संस्था से कितनी इकाईयाँ संबद्ध हैं।

(1) राज्य संघ है तो, संबद्ध जिला इकाईयों की संख्या लिखें :-
(2) जिला संघ है तो, संबद्ध संस्थाओं की संख्या लिखें :-

12 (1) क्या आवेदक संघ के (सिर्फ राज्य स्तरीय संघ के लिए) अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष किसी अन्य खेल के राज्य संघ में भी उपरोक्त में से किसी पद में पदस्थ है ? :- हों/नहीं

(2) यदि हों तो उस पदाधिकारी का नाम, अन्य खेल का नाम एवं उसके राज्य संघ में संबंधित का पदनाम लिखे पद
(अ) अन्य खेल का नाम :-
(ब) अन्य खेल के राज्य संघ में पद :-
(स) संबंधित पदाधिकारी का नाम :-

13 खेल एवं युवा कल्याण विभाग से मान्यता मिलने के पश्चात् संस्था किन-किन आयु वर्गों के लिए आर्थिक सहायता हेतु आवेदन करेगी। (मिनी/कैडेट/सब जूनियर/जूनियर/यूथ/सीनियर/वेटरंस/मास्टर/पैरा स्पोर्ट्स/अन्य कोई वर्ग जिसमें राष्ट्रीय खेल संघ आयोजन करता हो :- अधिकतम 04 वर्गों का उल्लेख करें :-

(1)
(2)
(3)
(4)

14 (1) क्या संस्था (सिर्फ राज्य संघ के लिए) से संबंधित खेल को, भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा "उच्च प्राथमिकता" या "प्राथमिकता" श्रेणी में वर्तमान वित्तीय वर्ष में सूचीबद्ध किया गया है ? :- हों/नहीं

(2) क्या संस्था (सिर्फ ओलम्पिक/एशियाड/कामनवेल्थ गेम्स/राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित खेलों के राज्य खेल संघ के लिए) से संबंधित खिलाड़ियों ने विगत 03 वर्षों में सब जूनियर/जूनियर/सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशीप या राष्ट्रीय खेल में पदक जीते हैं। यदि हों तो निम्नांकित जानकारी दें :-

क	वर्ष	सब जूनियर		जूनियर		सीनियर	
		प्रतियोगिता का नाम/स्थान/दिनांक	पदक	प्रतियोगिता का नाम/स्थान/दिनांक	पदक	प्रतियोगिता का नाम/स्थान/दिनांक	पदक

- (3) क्या संस्था (सिर्फ ओलम्पिक/एशियाड/काम्बोवेलथ गेम्स/राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित खेलों के राज्य खेल संघ के लिए) से संबंधित खिलाड़ियों ने विगत 03 वर्षों में सब जूनियर/जूनियर/सीनियर वर्ग की अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया है यदि हाँ तो निम्नांकित जानकारी दें :-

क्रं.	वर्ष	सब जूनियर		जूनियर		सीनियर	
		प्रतियोगिता का नाम/स्थान/दिनांक	खिलाडी का नाम	प्रतियोगिता का नाम/स्थान/दिनांक	खिलाडी का नाम	प्रतियोगिता का नाम/स्थान/दिनांक	खिलाडी का नाम

15 निम्नांकित पृथक से संलग्न करें :-

- (1) संस्था का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र।
- (2) संस्था के संविधान (नियमावली) की पंजीयन फर्म एवं संस्थाएँ से प्रमाणित प्रति की छायाप्रति।
- (3) संस्था के वर्तमान पदाधिकारियों की सूची एवं उनके कार्यकाल के विवरण के लिए पंजीयन फर्म एवं संस्थाएँ से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 27 के तहत जमा की गई जानकारी की अद्यतन प्रमाणित प्रति।
- (4) उच्च स्तर के संघ से संलग्नता का प्रमाण पत्र/ज्ञापन।
- (5) संस्था की विगत वित्तीय वर्ष में सम्पादित गतिविधियों का विवरण।
- (6) संस्था के विगत वर्ष के आय व्यय के लेखा का चार्टर्ड एकाउण्टेन्ड से परीक्षित लेखा विवरण।
- (7) संस्था से सम्बद्ध इकाईयों की जानकारी। निम्नांकित प्रारूप में

क्र.	संलग्न इकाई का नाम	संलग्न इकाई के अध्यक्ष का नाम,	सचिव का नाम,	पत्र व्यवहार का पूर्ण	दूरभाष क्रमांक

- (8) यदि संस्था के खिलाड़ियों ने विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय चैम्पियनशीप या राष्ट्रीय खेल में पदक जीते हैं तो उससे संबंधित प्रमाण-पत्र।
- (9) यदि संस्था के खिलाडी ने विगत तीन वर्षों में अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया हो तो उससे संबंधित प्रमाण-पत्र।

—:: घोषणा-पत्र ::—

हम घोषणा करते हैं कि :—

- (1) उपरोक्त विवरण सही है तथा यह संस्था किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेगी जिसका आधार राजनीति, धर्म या सम्प्रदाय हो।
- (2) संस्था, विभाग द्वारा निर्धारित नियमों तथा विभाग द्वारा भविष्य में लागू किए जाने वाले नियमों, निर्देशों तथा आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। आवश्यकता होने पर विभाग के निर्देशों के तहत अपने संविधान (नियमावली) में परिवर्तन किया जाएगा।
- (3) संस्था की आम सभा (वार्षिक बैठक) में विभाग के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाएगा।
- (4) विभाग द्वारा संचालित खेल प्रशिक्षण केन्द्रों के खिलाड़ियों के लिए राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु विभाग लेख करे तो उन्हें एक दल के रूप में अनिवार्यतः प्रवेश दिया जाएगा।
- (5) खिलाड़ियों को उच्च स्तर की प्रतियोगिता में भेजने हेतु गठित चयन समिति में विभाग का एक प्रतिनिधि रखा जाएगा।
- (6) संचालक द्वारा अन्य जानकारी एवं दस्तावेज यदि मांगे जाएंगे तो उन्हें प्रदाय किया जाएगा।
- (7) संस्था ने "विभागीय मान्यता आर्थिक सहायता नियम 2007" के सभी नियमों को पढ़ एवं समझ लिया तथा संस्था को ज्ञात है कि, इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की मान्यता स्थगित या समाप्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

सचिव

अध्यक्ष

दिनांक.....

क्रमशः.....2

- (8) यदि राज्य चैम्पियनशिप/राज्य स्तरीय आमंत्रण/राज्य रेकिंग, जिला स्तरीय चैम्पियनशिप, विकासखण्ड/तहसील स्तरीय इन्टर क्लब, अन्तरशालेय प्रतियोगिता आयोजन हेतु अनुदान आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हो तो निम्नांकित जानकारी दें :-
- (अ) प्रतियोगिता का नाम
- (ब) आयु वर्ग
- (स) आयोजन स्थल
- (द) आयोजन तिथि
- (इ) पुरुष वर्ग में भाग लेने वाले दल की अनुमानित संख्या
- (फ) महिला वर्ग में भाग लेने वाले दल की अनुमानित संख्या
- (ग) प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पुरुष एवं महिला खिलाड़ी, दल प्रबंधक एवं प्रशिक्षकों की कुल अनुमानित संख्या
- (ह) आयोजन में शासकीय अनुदान के अतिरिक्त स्वयं के आय स्रोत से संस्था द्वारा कितनी राशि व्यय किया जाना संभावित है
- (ज) आयोजन का कुल अनुमानित आय-व्यय विवरण
- (अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष किन्हीं दो से हस्ताक्षरित)
- (टीप :- राज्य चैम्पियनशिप आयोजन हेतु प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पुरुष एवं महिला वर्ग में केवल जिला दल की संख्या बताई जाए तथा जिला दल के नामों की सूची तथा उन दलों से भाग लेने वाले पुरुष एवं महिला खिलाड़ी, प्रबंधक एवं प्रशिक्षकों की संख्या पृथक से संलग्न करें। शेष आयोजन हेतु भाग लेने वाले दलों की सूची तथा उन दलों से भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या पृथक से संलग्न करें।)
- (9) यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के पूर्व, प्रशिक्षण शिविर के लिए अनुदान आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो निम्नांकित जानकारी दें-
- (अ) चैम्पियनशिप का नाम
- (ब) आयोजन स्थल, आयोजन तिथि
- (स) शिविर आयोजन स्थल एवं पूर्ण पता
- (द) खेल के नियमों के अनुसार एक दल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या
- (इ) शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, प्रबंधकों की वास्तविक संख्या
- (अनुमानित खिलाड़ियों के नाम की सूची पता सहित संलग्न करें)
- (फ) अनुमानित कुल व्यय
- (अनुमानित आय-व्यय विवरण पृथक से संलग्न करें)
- (10) यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/राष्ट्रीय खेल में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय के लिए अनुदान प्रस्तुत किया गया हो तो निम्नांकित जानकारी दें -
- (अ) प्रतियोगिता का नाम
- (ब) आयोजन तिथि
- (स) आयोजन स्थल
- (द) भाग लेने वाले खिलाड़ियों, मैनेजर, प्रशिक्षक की कुल संख्या
- (संबंधितों का पूर्ण डाक पता सहित सूची संलग्न करें)
- (इ) प्रतियोगिता से संबंधित उच्च स्तर के सघ द्वारा जारी सूचना पत्र संलग्न करें
- (फ) अनुमानित व्यय का विवरण
- (11) यदि सामान्य अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो निम्नांकित जानकारी दें-
- (अ) संस्था जिस खेल से संबंधित है, उस खेल की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप किन-किन आयु वर्ग में होती है (सीनियर, जूनियर, सबजूनियर आदि)
- (ब) क्या उपरोक्त सभी वर्गों में विगत वर्ष राज्य स्तरीय आयोजन/जिला स्तरीय आयोजन/अन्य आयोजन संस्था द्वारा कराया गया है। यदि हां तो समस्त वर्गों/अन्य आयोजन के आयोजन स्थल, आयोजन तिथि, भाग लेने वाले दलों के नाम, खिलाड़ियों की कुल संख्या प्रत्येक आयोजन में कुल व्यय पृथक से संलग्न करें। (राज्य/जिला संघ निम्नांकित प्रारूप में जानकारी दें)
- (पंजीकृत संस्थाएं अन्य आयोजन की जानकारी दें)

क्र.	आयोजन वर्ग	आयोजन स्थल	आयोजन तिथि	भाग लेने वाले दलों के नाम	खिलाड़ियों की कुल संख्या	कुल वास्तविक व्यय
01	सब जूनियर, बालक/बालिका					
02	जूनियर, बालक/बालिका					
03	सीनियर, पुरुष/महिला					

- (स) क्या विगत वर्ष राष्ट्रीय/राज्य चैम्पियनशिप के सभी वर्गों में राज्य/जिला का दल भेजा गया है, यदि हां तो समस्त वर्गों के आयोजन स्थल, आयोजन तिथि, भाग लेने वाले खिलाड़ियों के नाम, पूर्ण डाक पता सहित जानकारी पृथक से संलग्न करें।

क्र.	राष्ट्रीय/राज्य चैम्पियनशिप का नाम	आयोजन स्थल	आयोजन तिथि	भाग लेने वाले खिलाड़ियों के नाम एवं पूर्ण पता
01	सब जूनियर, बालक/बालिका			
02	जूनियर, बालक/बालिका			
03	सीनियर, पुरुष/महिला			

- (द) संस्था का चालू वर्ष का अनुमानित आय व्यय विवरण संलग्न करें

(अनुमानित आय में शासकीय अनुदान राशि निर्धारित प्रावधान से अधिक नहीं दर्शाया जाए, जानकारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष किन्हीं दो से हस्ताक्षरित हों)

- (इ) संस्था बैंक खाता के संबंध में जानकारी बैंक का नाम एवं बैंक खाता क्रमांक दर्शाएं

(यदि एक से अधिक खाता संचालित किया जा रहा हो तो सभी की जानकारी दें)

- (फ) क्या संस्था द्वारा खेल का नियमित अभ्यास केन्द्र संचालित किया जा रहा है, यदि हां तो स्थान एवं प्रशिक्षण समय की जानकारी दें

- (ज) संस्था द्वारा वर्ष भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का कैलेंडर संलग्न करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पद मुद्रा

खेल संघ/संस्था

- (12) कोचिंग का डिप्लोमा कोर्स हेतु आर्थिक सहायता :-

- | | | | |
|-----|--|----|-------|
| (1) | निम्नांकित प्रशिक्षक का नाम | :- | |
| (2) | संस्था का नाम जहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा | :- | |
| (3) | प्रशिक्षण की शुल्क संरचना में उल्लेखित राशि (शुल्क संरचना से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें) | :- | |

- (13) व्यायाम निदेशकों का प्रशिक्षण :-

- | | | | |
|-----|----------------------------|----|-------|
| (1) | आयोजन स्थल | :- | |
| (2) | आयोजन तिथि | :- | |
| (3) | व्यायाम निदेशकों की संख्या | :- | |
- (व्यायाम निदेशकों के नाम की सूची पृथक से संलग्न करें।)

(14) बस्तर सरगुजा संभाग में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन :-

- | | | | |
|-----|--|----|-------|
| (1) | आयोजन स्थल | :- | |
| (2) | आयोजन तिथि | :- | |
| (3) | भाग लेने वाले खिलाड़ियों/सदस्यों की संख्या | :- | |
| (4) | अनुमानित यात्रा व्यय | :- | |
| (5) | अनुमानित व्यय | :- | |

(15) बस्तर सरगुजा संभाग में प्रदर्शन मैच

- | | | | |
|-----|--|----|-------|
| (1) | आयोजन स्थल | :- | |
| (2) | आयोजन तिथि | :- | |
| (3) | भाग लेने वाले खिलाड़ियों/सदस्यों की संख्या | :- | |
| (4) | अनुमानित यात्रा व्यय | :- | |
| (5) | अनुमानित व्यय | :- | |

(16) रेफरी क्लिनिक :-

- | | | | |
|-----|---|----|-------|
| (1) | आयोजन स्थल | :- | |
| (2) | आयोजन तिथि | :- | |
| (3) | रेफरी क्लिनिक में उपस्थित आमंत्रित रेफरी की संख्या
(सूची पृथक से संलग्न करें।) | :- | |

घोषणा-पत्र

- (1) हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विवरण सही है तथा उक्त विवरण तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं।
- (2) हम यह भी घोषणा करते हैं कि संस्था अनुदान राशि के उपयोग हेतु नियमों का पालन करेगी तथा उसका पालन नहीं होने पर अनुदान राशि वापस करेगी।
- (3) हम यह भी घोषणा करते हैं कि शासन द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के संबंध में इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी प्रचार माध्यमों को दिये जाने पर हमें आपत्ति नहीं होगी।

(किन्हीं दो के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा)

कोषाध्यक्ष

सचिव

अध्यक्ष

परिशिष्ट-स
(नियम 13 का उपनियम (1)(ब))

क्रमांक.....
प्रति,

दिनांक.....

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर
द्वारा उचित माध्यम.

विषय : विभागीय मान्यता की निरन्तरता के लिए जानकारी का प्रस्तुतीकरण।

महोदय,

विषयांतर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत है।

01 संस्था का नाम

02 खेल एवं युवा कल्याण विभाग से मान्यता क्रमांक, दिनांक

03 संस्था के कार्यालय का पूर्ण डाक पता.....

04 (1) क्या संघ/संस्था, रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं छ.ग. से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 तहत जीवित पंजीकृत है ? :- हाँ/नहीं

(2) यदि हाँ तो निम्नांकित जानकारी दें :-

(अ) पंजीयन क्रमांक :-

(ब) पंजीयन दिनांक :-

05 संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का नाम, पता एवं दूरभाष क्रमांक एवं नमूना हस्ताक्षर अध्यक्ष -

नाम.....

पत्र व्यवहार का पता

दूरभाष क्र..... व्हाट्सएप नं..... ईमेल पता

नमूना हस्ताक्षर-(1)..... (2)

सचिव -

नाम.....

पत्र व्यवहार का पता

दूरभाष क्र..... व्हाट्सएप नं..... ईमेल पता

नमूना हस्ताक्षर-(1)..... (2)

कोषाध्यक्ष -

नाम.....

पत्र व्यवहार का पता

दूरभाष क्र..... व्हाट्सएप नं..... ईमेल पता

नमूना हस्ताक्षर-(1)..... (2)

06 संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष क्या राज्य के बाहर निवासरत हैं ? यदि हाँ तो जानकारी दें।

07 (1) क्या संघ/संस्था की अपने उच्च स्तर के संघ से सम्बद्धता है ? :- हाँ/नहीं

(2) यदि हाँ तो निम्नांकित जानकारी दें :-

(अ) राज्य संघ के लिए संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ का नाम लिखे

(ब) जिला संघ के लिए संबंधित राज्य खेल संघ का नाम लिखे

(स) खेल संस्था के लिए संबंधित जिला संघ का नाम लिखे

- 08 संघ/संस्था से कितनी इकाईयों संबद्ध है।
 (1) राज्य संघ है तो, संबद्ध जिला इकाईयों की संख्या लिखें :-
 (2) जिला संघ है तो, संबद्ध संस्थाओं की संख्या लिखें :-
- 09 (1) क्या आवेदक संघ के (सिर्फ राज्य स्तरीय संघ के लिए) अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष किसी अन्य खेल के राज्य संघ में भी उपरोक्त में से किसी पद में पदस्थ है ? :- हाँ/नहीं
 (2) यदि हाँ तो उस पदाधिकारी का नाम, अन्य खेल का नाम एवं उसके राज्य संघ में संबंधित का पदनाम लिखे पद
 (अ) अन्य खेल का नाम :-
 (ब) अन्य खेल के राज्य संघ में पद :-
 (स) संबंधित पदाधिकारी का नाम :-
- 10 संस्था आगामी वित्तीय वर्ष में किन-किन आयु वर्गों के लिए आर्थिक सहायता हेतु आवेदन करेगी। (मिनी/कैडेट/सब जूनियर/जूनियर/यूथ/सीनियर/वेटरंस/मास्टर/पैरा स्पोर्ट्स/अन्य कोई वर्ग जिसमें राष्ट्रीय खेल संघ आयोजन करता हो :- अधिकतम 04 वर्गों का उल्लेख करें :-
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
- 11 (1) क्या संस्था (सिर्फ राज्य संघ के लिए) से संबंधित खेल को, भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा "उच्च प्राथमिकता" या "प्राथमिकता" श्रेणी में वर्तमान वित्तीय वर्ष में सूचीबद्ध किया गया है ? :- हाँ/नहीं
 (2) क्या संस्था (सिर्फ ओलम्पिक/एशियाड/काम्न्वेल्थ गेम्स/राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित खेलों के राज्य खेल संघ के लिए) से संबंधित खिलाड़ियों ने विगत 03 वर्षों में सब जूनियर/जूनियर/सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशीप या राष्ट्रीय खेल में पदक जीते हैं। यदि हाँ तो निम्नांकित जानकारी दें :-

क्रं	वर्ष	सब जूनियर		जूनियर		सीनियर	
		प्रतियोगिता का नाम/स्थान/दिनांक	पदक	प्रतियोगिता का नाम/स्थान/दिनांक	पदक	प्रतियोगिता का नाम/स्थान/दिनांक	पदक

- (3) क्या संस्था (सिर्फ ओलम्पिक/एशियाड/काम्बोवेलथ गेम्स/राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित खेलों के राज्य खेल संघ के लिए) से संबंधित खिलाड़ियों ने विगत 03 वर्षों में सब जूनियर/जूनियर/सीनियर वर्ग की अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया है यदि हाँ तो निम्नांकित जानकारी दें :-

क्रं	वर्ष	सब जूनियर		जूनियर		सीनियर	
		प्रतियोगिता का नाम/स्थान/दिनांक	खिलाडी का नाम	प्रतियोगिता का नाम/स्थान/दिनांक	खिलाडी का नाम	प्रतियोगिता का नाम/स्थान/दिनांक	खिलाडी का नाम

12

निम्नांकित पृथक से संलग्न करें :-

- (1) संस्था के संविधान (नियमावली) में यदि परिवर्तन किया गया है, तो परिवर्तित नियमावली की पंजीयन फर्म एवं संस्थाएँ से प्रमाणित प्रति की छायाप्रति।
- (2) संस्था के वर्तमान पदाधिकारियों की सूची एवं उनके कार्यकाल के विवरण के लिए पंजीयन फर्म एवं संस्थाएँ से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 27 के तहत जमा की गई जानकारी की अद्यतन प्रमाणित प्रति।
- (3) उच्च स्तर के संघ से संलग्नता का प्रमाण पत्र/ज्ञापन।
- (4) संस्था की विगत वित्तीय वर्ष में सम्पादित गतिविधियों का विवरण।
- (5) संस्था के विगत वर्ष के आय व्यय के लेखा का चार्टर्ड एकाउण्टेन्ड से परीक्षित लेखा विवरण।
- (6) संस्था से सम्बद्ध इकाईयों की जानकारी। निम्नांकित प्रारूप में

क्र.	संलग्न इकाई का नाम	संलग्न इकाई के अध्यक्ष का नाम,	सचिव का नाम,	पत्र व्यवहार का पूर्ण	दूरभाष क्रमांक

- (7) यदि संस्था के खिलाड़ियों ने विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय चैम्पियनशीप या राष्ट्रीय खेल में पदक जीते हैं तो उससे संबंधित प्रमाण-पत्र।
- (8) यदि संस्था के खिलाडी ने विगत तीन वर्षों में अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया हो तो उससे संबंधित प्रमाण-पत्र।

—:: घोषणा-पत्र ::—

हम घोषणा करते हैं कि :-

- (1) उपरोक्त विवरण सही है तथा यह संस्था किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेगी जिसका आधार राजनीति, धर्म या सम्प्रदाय हो।
- (2) संस्था, विभाग द्वारा निर्धारित नियमों तथा विभाग द्वारा भविष्य में लागू किए जाने वाले नियमों, निर्देशों तथा आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। आवश्यकता होने पर विभाग के निर्देशों के तहत अपने संविधान (नियमावली) में परिवर्तन किया जाएगा।
- (3) संस्था की आम सभा (वार्षिक बैठक) में विभाग के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाएगा।
- (4) विभाग द्वारा संचालित खेल प्रशिक्षण केन्द्रों के खिलाड़ियों के लिए राज्य चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु विभाग लेख करे तो उन्हें एक दल के रूप में अनिवार्यतः प्रवेश दिया जाएगा।
- (5) खिलाड़ियों को उच्च स्तर की प्रतियोगिता में भेजने हेतु गठित चयन समिति में विभाग का एक प्रतिनिधि रखा जाएगा।
- (6) संचालक द्वारा अन्य जानकारी एवं दस्तावेज यदि मांगे जाएंगे तो उन्हें प्रदाय किया जाएगा।
- (7) संस्था ने "विभागीय मान्यता आर्थिक सहायता नियम 2007" के सभी नियमों को पढ़ एवं समझ लिया तथा संस्था को ज्ञात है कि, इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था की मान्यता स्थगित या समाप्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

सचिव

अध्यक्ष